UPAU010010252026

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।</u>

पीठासीन अधिकारी– विकास गोस्वामी (एच0 जे0 एस0) JO Code UP 2393

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–362/2026

मंगल पुत्र रामप्रकाश,
निवासी कटरा मडैया, थाना फफूँद, जिला औरैया।

.... **प्रार्थी/अभियुक्त।**

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.... **अभियोजन पक्ष।**

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 290/2025
मुकदमा अपराध संख्या– 369/2023
धारा–147,323, 504, 506, 308 भारतीय दण्ड संहिता
थाना–फफूँद, जिला औरैया।

<u>दिनांक 30.03.2026</u>

01. अभियुक्त मंगल की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त अभियुक्त विशेष सत्र परीक्षण संख्या 290/2025, मुकदमा अपराध संख्या–369/2023, धारा–147, 323, 504, 506, 308 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–फफूँद, जिला औरैया से संबंधित है तथा जिला कारागार में निरुद्ध है।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा रीना देवी ने थाना बिधूना में इन तथ्यों से युक्त तहरीर दी कि प्रार्थिनी रीना देवी पत्नी शीलू, निवासी मु० कटरा मनेपुर की मडैया, थाना फफूँद, जनपद औरैया दिनांक 08.10.2023 को समय शाम 03.00 बजे के करीब मेरा पति व लड़के घर नहीं थे, मैं अकेली घर पर थी, तभी विपक्षीगण मंगल पुत्र रामप्रकाश, 2. लल्ला सिंह पुत्र सूबेदार, 3. बब्लू पुत्र सूबेदार, 4. सन्तोष पुत्र लाखन सिंह, 5. सोनू पुत्र सूबेदार, 6. शिव पुत्र राजेन्द्र इसी गाँव के निवासी हैं, ये लोग मेरे दरवाजे पर आक मां–बहन की गन्दी–गन्दी गाली–गलौज करने लगे। मैने गाली देने से मना किया, उस समय मारपीट करने पर आमादा हो गये। विपक्षी ने कहा तेरा आदमी शीलू बाबरपुर बाजार करने जायेगा, उसे वहीं पर मार दूंगी, तू पता भी चला सकती।

03. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपने जमानत प्रार्थना पत्र में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है तथा उक्त मामले में प्रार्थी को झूठा आरोपित किया गया है।प्रस्तुत मामले मे प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के काफी विलम्ब 2 दिन बाद से अंकित करायी है। विलम्ब का कोई भी स्पष्टीकरण वादिनी मुकदमा ने अपनी तहरीर मे नही बताया है। प्रस्तुत

Digitally signed by VIKAS GOSWAMI
Date: 2026.03.30 15:42:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मामले में वादिनी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर के अनुसार कथित घटना के समय वादिनी मुकदमा घर पर अकेली थी और उसके पति व परिवार का कोई भी व्यक्ति घर पर मौजूद नही था, किन्तु वादिनी मुकदमा के पति व परिवारीजन की चिकित्सीय आख्या पत्रावली पर मौजूद है। अगर वादिनी मुकदमा के घर पर कोई नही था तो फिर वादिनी मुकदमा व उसके परिवारीजन को चोटे कैसे आयी, जिससे स्पष्ट होता है कि मजरूबों को आयी सभी चोटे सेल्फमेड है। प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी व सह अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को किसी भी प्रकार की मारपीट करने का कोई भी कथन नहीं किया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थिनी के विरुद्ध 323 व 308 आई०पी०सी० का अपराध गठित नही होता है। प्रस्तुत मामले में घटित घटना सार्वजनिक स्थान (वादिनी मुकदमा के घर के बाहर) की होना बताया गया है लेकिन जनता का कोई भी स्वतन्त्र व निष्पक्ष साक्षी वर्णित न होना सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाता है। प्रार्थी के पास से मुकदमा सम्बन्धी कोई भी बस्तु बरामद नही हुयी है। प्रार्थी पर आरोपित धाराएँ मा० न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है जिनमे 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। 10. यह कि प्रार्थी को मुकदमे के विचारण के बाबत कोई भी जानकारी नही हो पायी जिस कारण प्रार्थी मा० न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर हाजिर अदालत नही आ पाया। दौरान गिरफ्तारी द०प्र०सं० व मानवाधिकार व मा० उच्च न्यायालय व मा० उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशो का पालन नही किया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कोई भी गैर जमानतीय वारण्ट जारी नही किया गया है। फिर भी थाना फफूँद पुलिस प्रार्थी के विरोधियो के कहने पर प्रार्थी को पकड़कर ले आयी है। प्रार्थी का सह अभियुक्तगण से कोई भी मतलब वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थी दिनांक 08.03.2026 से जिला कारागार इटावा में निरुद्ध है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी पर्याप्त प्रतिभू दाखिल करने को तत्पर है तथा दौरान विचारण मुकदमा हाजिर अदालत आता रहेगा। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

04. जमानत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

05. प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी मुकदमा पर धारा 15 ए की उपधारा 3 के अन्तर्गत जारी नोटिस तामील है।

06. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया गया है तथा अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया है।

07. पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अभियुक्त पर आरोपित अपराध अधिकतम सात वर्ष की सजा से दंडनीय है। प्रार्थी/अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 08.03.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी०बी०आई०** SLP (Cr. Appeal NO. 5190/2021) निर्णीत दिनांकित 11.07.2022 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त हैं।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–362/2026
मंगल प्रति राज्य

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त मंगल की तरफ से विशेष सत्र परीक्षण संख्या 290/2025, मुकदमा अपराध संख्या–369/2023, धारा–147, 323, 504, 506, 308 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–फफूँद, जिला औरैया में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 362/2026, स्वीकार किया जाता है। **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025: AHC: 136034 में पारित निर्णय दिनांकित 12.08.2025** में वर्णित निर्देशों के आलोक में प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक 30.03.2026

(विकास गोस्वामी)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।
JO Code UP 2393